

फा.सं.3/3/2013
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन,
10, संसद मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक: 06 जुलाई, 2016

कार्यालय जापन

विषय : भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री में मुख्य परिचालन अधिकारी के पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।

अधोहस्ताक्षरी को सरकारी क्षेत्र के बैंकों में महाप्रबंधकों के वेतनमान के समकक्ष वेतनमान में भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री में **मुख्य परिचालन अधिकारी** के पद की विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु रिक्ति परिपत्र को एतद्वारा अग्रेषित करने का निदेश दिया गया है।

2. व्यापक प्रचार हेतु संलग्न रिक्ति परिपत्र को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। यह भी अनुरोध है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पात्र और इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन अग्रेषित किये जाएं ताकि वे इस विभाग को विनिर्धारित अंतिम तिथि, अर्थात् 27 जुलाई, 2016 को अथवा उसके पूर्व, के भीतर पहुंच सकें।

इसे सचिव (वित्तीय सेवाएं) का अनुमोदन प्राप्त है।


(तीर्थ राम)

अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन सं. 011-23748750

सेवा में,

निदेशक, सीएस-1(डी),
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,
लोकनायक भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (स्थापना)
2. लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, 8वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली
3. सभी पीएसबी/पीएसयू/नाबार्ड/सिडबी/आईआईएफसीएल/ भारतीय एंजिम बैंक/एनएचबी/आरबीआई/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अध्यक्ष/मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

इस अनुरोध के साथ कि इन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन अग्रेषित किये जाएं ताकि वे इस विभाग को अंतिम तिथि से पहले पहुंच सकें।

4. एनआईसी प्रकोष्ठ, दूसरा तल, जीवन दीप भवन, नई दिल्ली-वित्तीय सेवाएं विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर रिक्ति परिपत्र को तत्काल अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

भारतीय केंद्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री में मुख्य परिचालन अधिकारी के पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।

1. भारतीय केंद्रीय आस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत एक लाइसेंसीकृत कंपनी है और कंपनियों के पंजीयक, नई दिल्ली द्वारा पंजीकृत है।
2. दिनांक 31.03.2011 को स्थापित कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें केंद्र सरकार की शेयरधारिता 51% प्रतिशत है और सरकारी क्षेत्र के चुनिन्दा बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक भी कंपनी के शेयरधारक हैं।
3. सीईआरएसएआई का संगठनात्मक ढांचा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2011 को अनुमोदित किया गया था तथा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रारंभ में स्टाफ प्रतिनियुक्ति आधार पर होगा। यह प्रस्तावित है कि मुख्य परिचालन अधिकारी के विद्यमान पद को सभी पीएसबी/सरकारी विभागों/पीएसयू/आरबीआई/नाबार्ड/सिडबी/आईआईएफसीएल/भारतीय एक्जिम बैंक, एनएचबी/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से पात्र अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाए।
4. पद तथा पद के लिए पात्रता मानदंड/योग्यताओं का विवरण निम्नानुसार है:

मुख्य परिचालन अधिकारी

वेतनमान : सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वेतनमान VII के रैंक के समकक्ष लागू होने वाला वेतनमान

- I. सरकारी क्षेत्र के बैंकों के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक(सिडबी)/भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)/भारतीय एक्जिम बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक(एनएचबी)/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के समकक्ष स्तर के अधिकारी।
- II. भारत सरकार में, बैंकिंग से संबंधित मामलों में पांच वर्ष के अनुभव वाले, 15,600-39,100 रुपये के वेतनमान + 7600 रुपये के ग्रेड पे (पीबी-3) वाले उप सचिव स्तर के अधिकारी। एमबीए डिग्री वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- III. भारत सरकार में, 15,600-39,100 रुपये के वेतनमान + 6600 रुपये के ग्रेड पे (पीबी-3) वाले अवर सचिव स्तर के अधिकारी जिन्हें नियुक्ति के उपरांत बैंकिंग से संबंधित मामलों का पांच वर्ष का अनुभव हो। एमबीए डिग्री वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

आयु

प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के अनुसार 56 वर्ष होगी।

5. इच्छुक और पात्र अधिकारी **केवल उचित माध्यम से** (अर्थात् उनके संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से) विनिर्धारित प्रपत्र में विधिवत् रूप से भरे हुए अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि अधोहस्ताक्षरी को 27 जुलाई, 2016 को अथवा उससे पहले पहुंच जाएं।

6. चयन के उपरांत किसी भी आवेदक को अपना नाम वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसा करने से ऐसे अभ्यर्थियों को भविष्य में सीईआरएसएआई में प्रतिनियुक्तिके लिए काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाल दिया जाएगा।
7. सभी पीएसबी/पीएसयू/नाबार्ड/सिडबी/आईआईएफसीएल/भारतीय एक्जिम बैंक/एनएचबी/आरबीआई/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों/मंत्रालयों/विभागों/केंद्र सरकार के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से अनुरोध है कि वे इच्छुक अधिकारियों, जिनकी सेवाओं को तत्काल छोड़ा जा सके, के आवेदन पत्रों को पिछले पांच वर्ष, अर्थात् वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक के लिए अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर)/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर)/ग्रेडिंग की सत्यापित/प्रमाणित प्रतियों के साथ आवेदन फार्म का भाग-11 को विधिवत् रूप से भरकर अग्रेषित करें। यह भी नोट किया जाए कि यदि तीन माह से अधिक अवधि के लिए कोई एसीआर/एपीएआर/ग्रेडिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है तो ऐसी अवधि (अवधियों) के लिए "रिपोर्ट नहीं प्रमाणपत्र" (एनआरसी) के साथ वर्ष 2011-12 से पहले की मेल खाती हुई अवधि के लिए एसीआर/एपीएआर/ग्रेडिंग अग्रेषित की जाए।
8. विद्यमान व्यक्तियों के संबंध में पात्रता के निर्धारण के लिए निर्णायक सूची आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
9. विभाग के पास प्रशासनिक कार्यों के हित में, उपर्युक्त किसी भी पद के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के लिए शर्तों में ढील देने का अधिकार, सुरक्षित है।
10. अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त हुए अथवा अधूरे दस्तावेजों के साथ प्राप्त अथवा उचित माध्यम के द्वारा प्राप्त न हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. प्रतिनियुक्ति पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, अर्थात् 27 जुलाई, 2016, को 56 वर्ष से कम आयु के होने चाहिए।
12. चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन वर्ष की अवधि, जिसे प्रशासनिक कार्यों के हित में घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है, के लिए नियुक्त किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों के संबंध में वेतन और प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें और निबंधन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्थापना (वेतन 11) तथा पीएसबी/पीएसयू/आरबीआई/नाबार्ड/सिडबी/आईआईएफसीएल/भारतीय एक्जिम बैंक/एनएचबी/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के अधिकारियों के लिए उनके संबंधित मूल संगठन की नीतियों द्वारा शासित होंगे।



(तीर्थ राम)

अवर सचिव, भारत सरकार
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवन दीप भवन,
10, संसद मार्ग,
नई दिल्ली
टेलीफोन सं. 011-23748750

प्रारूप

भारतीय केंद्रीय अस्ति प्रतिभूतिकरण पुनर्गठन और प्रतिभूति हित रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) में मुख्य परिचालन अधिकारी के पद के चयन हेतु आवेदन।

1. पूरा नाम :
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. (क) जन्म तिथि :
(ख) दिनांक 27.07.2016 को आयु:
3. (ग) वर्तमान सेवा में अधिवर्षिता की तारीख :
4. पिता/पति का नाम:
5. वर्तमान पता:
(i) कार्यालय (दूरभाष/मोबाईल नं., ईमेल आईडी सहित पता)
(ii) निवास (दूरभाष/मोबाईल नं., ईमेल आईडी सहित पता)
6. मूल कार्यालय/संगठन का पूरा पता:
(दूरभाष नं. और फैक्स नं. सहित)
7. शैक्षिक योग्यता :
8. (क) सेवा में आने की तारीख :
(ख) सेवा का नाम:
9. तैनातियों का विवरण (पिछले 10 वर्षों के दौरान) :

आवेदक द्वारा
विधिवत् रूप से
हस्ताक्षरित
पासपोर्ट आकार
का हाल ही में
लिया गया फोटो

क्रम सं.	नियमित आधार पर धारित पद	वेतनमान और मूल वेतन	कार्यालय/संगठन	इयूटियों की प्रकृति	वित्त/बैंकिंग इत्यादि के क्षेत्र में अनुभव	अवधि	
						से	तक

10. (क) धारित वर्तमान पद :
(ख) क्या पद का चयन मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित है:
(ग) वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति की तिथि:
(घ) वर्तमान धारित पद का वर्तमान वेतन और वेतनमान
(ड.) पद की इयूटियों और उत्तरदायित्व
11. (क) क्या पिछले 10 वर्ष के दौरान आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है। यदि हां, तो उसका विवरण:
(ख) क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई/आरोप पत्र लंबित है/चलाया जाना है:
(ग) यदि हां, तो उसका विवरण:
12. आवेदित पद के लिए किस प्रकार योग्यता प्राप्त है:
(कृपया पूर्ण विवरण दें)

13. क्या अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व से संबंधित है :

14. उपर्युक्त में कवर न हुई कोई अन्य योग्यता/अनुभव :

15. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है और मेरी जानकारी और विश्वास के अनुरूप है तथा मैं पद के लिए पात्र हूँ।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक:

.....का कार्यालय

(संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त दिये गये विवरणके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार सही हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....सतर्कता के दृष्टिकोण सेहैं और अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न तो लंबित है अथवा न ही विचार किया जा रहा है। सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र संलग्न है।

पिछले पांच वर्ष अर्थात् 2011 -12 से वर्ष 2015-16 तक के लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न है।

(सरकारी मोहर सहित अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :
